जागो ग्राहक जागो

अब उपभोक्ता अधिक शक्तिशाली है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 20 जुलाई, 2020 से लागू किया जा चुका है।

अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है

मिलावटी/नकली सामान के निर्माता या विक्रेता को सक्षम न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान है।

शिकायत दर्ज करना हुआ ज्यादा सुविधाजनक –ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है।

5 लाख रुपये तक का मामला दर्ज करने के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा।

सुनवाई के लिये कई उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा।

हर ई– कॉमर्स इकाई ग्राहक की शिकायत की पावती (Acknowledgement) 48 घंटे में देगी।

ई–कॉमर्स इकाई प्राप्ति से एक महीने के अंदर समस्त शिकायतों का निवारण करेगी।

सत्यमेव जयते

जनहित में जारीः

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 | www.consumeraffairs.nic.in

@consaff
@jagograhakjago

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
14404 या **1800-11-4000**
(टोल फ्री)

1800114000 or 14404
NCH

UMANG

www.consumerhelpline.gov.in

मार्क गुणवत्ता का प्रतीक